उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ - 226001

पत्र सं०– 1110/ट्रस्ट/कोषागार भुगतान   दिनांक: 30/07/2016

"ई०मेल०" महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक,
उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्राँ०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०,
डिस्कॉम वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, केसा कानपुर एवं
मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"प्राथमिकता"

विषय :–पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों को कोषागारों के माध्यम से भुगतान एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओ के सम्बन्ध में।

कृपया, उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 462/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 11.04.2016, पत्रांक 518/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 23.04.2016, पत्रांक 660/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 16.05.2016, पत्रांक 815/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 14.06.2016 एवं समय समय पर निर्गत पत्रो का सन्दर्भ लें। अवगत कराना है कि अभी तक इकाइयो/क्षेत्रों एवं निगमों के सकिय सहयोग से अल्प अवधि मे 67500 से अधिक पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों के प्रपत्र ट्रस्ट स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कर, सम्बन्धित कोषागारों में फीडिंग एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु दिये जा चुके है। उपरोक्त सम्बन्ध में समीक्षा के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही कराया जाना आवश्यक है:–

1. शेष पेंशन प्रकरणों को भी प्राथमिकता पर तैयार कराकर सप्ताह में एक बार, ट्रस्ट कार्यालय के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रषित किए जाने की कार्यवाही की जाए, लम्बित प्रकरणो की सूची कारणो सहित तैयार कराकर क्षेत्र एवं निगम स्तर पर समीक्षा की जाये, जिन प्रकरणों मे किन्ही कारणों से पेंशन से प्रत्याप्ति की स्थिति आ रही हो उनके सम्बन्ध में निगम स्तर से प्रशासनिक निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जानी हैं।
2. शासनादेश संख्या 1/2016/41/24–पी० दिनांक 13.01.2016 के बिन्दु संख्या 3(vii) में वर्णित, निगमों का अंशदान प्रेषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक/वांछित कार्यवाही अविलम्ब निम्नवत् की जाये:–
   (अ) वर्तमान में अंशदान की दर, निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड पे एवं मंहगाई भत्ते के योग का 19.08% का कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धित निगम स्तर से निर्गत कराकर प्रतिलिपि निदेशक पेंशन, निदेशक कोषागार एवं सचिव (ट्रस्ट) को प्रष्ठांकित की जाए।
   (ब) मासिक अंशदान की एकमुश्त राशि मात्र उ0प्र0पा0का0लि0, उ०प्र०पा०ट्राँ०का०लि०, डिस्काम केस्को, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम से, कम्पनी के कार्मिको की संख्या, जिनके वेतन के आधार पर गणना की गई है, के साथ सचिव ट्रस्ट कार्यालय को माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित की जाए। जिससे ट्रस्ट स्तर से अग्रिम कार्यवाही, निर्धारित अवधि में कराई जा सके।
3. अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी की निधि माँग ट्रस्ट को प्रषित करने के पूर्व निगमों द्वारा समय पर जारी आदेशों के कड़ाई से अनुपालन की जांच कर ली जाये। अनन्तिम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु का दिनांक एवं अन्तिम पेंशन स्वीकृति न होने के कारण सहित प्रेषित किया जाये। पेंशनरी दायित्वों के 14.01.2000 से पहले या बाद के वर्गीकरण को कोई औचित्य वर्तमान में नही है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा निर्गत धनराशि का उपयोग विवरण भी प्रेषित कराए। ट्रस्ट से धनराशि प्राप्त होने पर भी इकाइयों द्वारा कार्मिको *को समय से भुगतान न किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, अतएव अपने स्तर से स्पष्ट आदेश निर्गत करें।*
4. 29.02.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या 3(viii) के अनुसार पुरानी प्रकिया की भांति कार्यवाही की जाए एवं निधि माँग में सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जबकि 29.02.2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको के सम्बन्ध मे शासनादेश बिन्दु संख्या 3(ix) के अनुसार कार्यवाही की जाये। नये प्रकरणों को भी माह में एक बार पेंशन स्वीकृताधिकरियों द्वारा ट्रस्ट के प्रति हस्ताक्षरित कराकर सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था करनी होगी।
5. निगम स्तर से वित्तीय वर्ष 2014–15 के सा0भ0नि0, पेंशन एवं अं0भ0नि0 मद में निर्धारित प्रारूप मे देयता के विवरण प्राप्त न होने के कारण ट्रस्ट के मासिक लेखे संकलित नही हो पा रहे है। अतएव असम्प्रेक्षित लेखे के आधार पर देयता के विवरण एक सप्ताह में प्रेषित कराए। साथ ही सा0भ0नि0 मद मे उ0प्र0पा0का0लि0 को

प्रेषित, 4/14 एवं आगे का लम्बित निधि माँग का माहवार विवरण भी प्रेषित कराए। उ0प्र0 पा0का0लि0 द्वारा निर्गत मासिक सा0भ0नि0/अं0भ0नि0 पेंशन अंशदान की धनराशि 3 कार्य दिवसो में ट्रस्ट को प्रेषित कराये जाने का कष्ट करें, जिससे ट्रस्ट को ब्याज की हानि न हो। उ0प्र0पा0का0लि0 को प्रेषित निधि माँग की सत्यता की जाँच भी कर लें। यदि आवश्यक हो तो निधि माँग संशोधित करें।

6. सा0भ0नि0/अ0भ0नि0 मद मे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 01.04.2016 से 8.1% दर पर ब्याज आकलित करते हुए सा0भ0नि0/अं0भ0नि0 के प्रकरण निस्तारित किए जाए।
7. सा0भ0नि वित्तीय वर्ष 2015–16 के संकलित विवरण अधिकांश इकाइयों/क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों मे प्रेषित नही किये है। जिन्हे प्राथमिकता पर भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे लेखा पर्ची निर्गत की जा सकें। साथ ही संज्ञानित कराना है कि क्षेत्रीय लेखा कार्यालय से 2014–15 के संकलित विवरण भी अनेको बार टुकड़ो मे डाक के माध्यम से प्राप्त होते है। अतएव 2014–15 के लम्बित संकलित विवरण एक साथ मासिक लेखे की बुकिंग के साथ, संबंधित लेखाकार के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे लम्बित लेखा पर्ची निर्गत की जा सके।

(सुधांशु द्विवेदी)
निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी

पत्र सं०–   /ट्रस्ट/कोषागार भुगतान /तद्दिनांकः   .2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि० डिस्कॉम वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, केसा कानपुर ।
2. समस्त मुख्य अभियंता/महाप्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0 लि0, डिस्काम।
3. उपमहाप्रबन्धक (केस्को), कानपुर, उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ, समस्त उपमहाप्रन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण/पारेषण), तापीय परियोजनायें उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0ज0वि0 नि0लि0, समस्त डिस्काम।

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

ई मेलः- *sectrustlko@gmail.com*   दूरभाष सं0 0522-2288187